...सा ने गुरुवार सुबह जानकारी दी। बता दें, ... व्यवस्था की जमकर धज्जियां उड़ाई गई, इससे वे काफी आहत हैं।

बयान दर्ज करने को नहीं कहा गया। अगर वह आरोपी की पहचान ... तो उन्हें दंगों के दौरान ही आरोपी को लेकर आला अधिकारियों को सूचित करना चाहिए था। अदालत ने कहा कि तमाम तथ्य आरोपी की पहचान को लेकर संदेह उत्पन्न कर रहा है। अदालत ने कहा कि आरोपी को दंगों के 50 दिन बाद गिरफ्तार किया गया था।

# ...से और पुलिस ... हटाने की मांग

याचिका में कहा गया है कि गणतंत्र दिवस देशवासियों के लिए काफी गर्व का दिन होता है, लेकिन मंगलवार को हुई हिंसा ने इसे शर्मसार कर दिया।

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में कहा गया है कि यह और भी शर्म की बात है कि दिल्ली की हथियारबंद पुलिस स्थिति को संभालने के बजाय असहाय महसूस कर रही थी क्योंकि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने समय रहते कार्रवाई की अनुमति नहीं दी। इसके लिए याचिका में दिल्ली पुलिस कमिश्नर को तत्काल पद से हटाने की मांग की।

याचिका में कहा गया है कि पुलिस कमिश्नर अपनी जिम्मेदरी निभाने में पूरी तरह विफल रहे हैं। याचिका में राजधानी में धरोहरों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बल तैनात करने का आदेश देने की मांग की है।

को पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पुलिस व सुरक्षा कर्मी अपनी जान बचाकर भागते नजर आ रहे हैं।

याचिका में केंद्र सरकार को किस... सड़कें खाली कराने का आदेश देने की मांग की करते हुए कहा है कि भले ही सीमाओं पर शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा हो, लेकिन इससे आने-जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

# मनीष सिसोदिया मानहानि मामले में मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

नई दिल्ली, 28 जनवरी (ह.स.)

आपराधिक मानहानि के मामले में आरोपित भाजपा सांसद मनोज तिवारी और विधायक विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ जारी समन पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सांसद मनोज तिवारी व विजेंद्र गुप्ता की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने निचली अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि के मामले में निचली अदालत द्वारा बतौर आरोपी समन जारी करने के आदेश को चुनौती दी थी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मनोज तिवारी व अन्य के खिलाफ याचिका दायर कर कहा था कि इन लोगों ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की कक्षाओं के निर्माण में भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए हैं। इससे दिल्ली सरकार की छवि खराब हुई। मनीष सिसोदिया ने यह भी आरोप लगाया था कि मनोज तिवारी और विजेंद्र गुप्ता समेत इन भाजपा नेताओं ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में झूठे आरोप फैलाए और हमारी छवि खराब करने की कोशिश की। याचिका के मुताबिक, इन भाजपा नेताओं ने जो आरोप लगाया था कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के कक्षाओं के निर्माण में दो हजार करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार किया गया है, जबकि इसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। एक जुलाई 2019 को तत्कालीन दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने एक पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया था।

# ...त पुलिस कर्मियों से मिलने ..., हर जवान से पूछा हालचाल

नए कृषि कानूनों के विरोध के बीच दिल्ली में गणतंत्र दिवस ... किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के दौरान प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली में प्रवेश करने के लिए बैरिकेड्स तोड़ दिए थे और राजधानी के कई हिस्सों में जमकर तोड़फोड़ की थी। प्रदर्शनकारियों द्वारा की गई बर्बरता में कई सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, जिससे कई पुलिस कर्मी घायल हो गए।

किले की प्राचीर से हटाने की कोशिश की, लेकिन वे आक्रामक हो गए। हम किसानों के खिलाफ बल का उपयोग नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने जितना संभव हो सके संयम बरता।

वहीं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर एस.एन. श्रीवास्तव ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा में 394 पुलिस कर्मी घायल हुए हैं। हिंसा के सिलसिले में अब तक उन्नीस लोगों को गिरफ्तार किया गया है और दिल्ली पुलिस ने 25 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। कुछ पुलिस कर्मियों को उनकी गंभीर स्थिति के कारण आईसीयू वार्ड में भर्ती किया गया है।

कमिश्नर ने बताया था कि वे उपद्रवियों को पकड़ने के लिए चेहरे की पहचान प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं और आरोपियों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी और वीडियो फुटेज की भी मदद ले रहे हैं। 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है।


**STERLING TOOLS LIMITED**

CIN: L29222DL1979PLC009668

Regd. Office: Unit No. 515, DLF Tower-A, Jasola District Centre, New Delhi-110025

Website: www.stlfasteners.com, Email: csec@stlfasteners.com,

Tel No.: +91-129-2270621-25

**NOTICE**

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29(1)(a) read with Regulation 47(1)(a) of the Listing Regulations with the Stock Exchanges that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Friday, 12th February, 2021** at Faridabad, to inter-alia, consider and approve the Standalone/Consolidated Unaudited Financial Results for the Third Quarter / Nine Months Ended 31st December, 2020.

This information is also available on the Company's website at www.stlfasteners.com and on the Stock Exchanges website at **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com**.

For Sterling Tools Ltd.

Sd/-

Company Secretary

Place: New Delhi

Date: 25.01.2021


DML - 29/01/2020 DFM